MUKUL WASNIK): (a) Government is already operating a scheme namely National Welfare Fund for Sportspersons under which sportspersons who have represented the nation in International Sports Competetions and who are in indigent circumstances can get a monthly pension upto Rs. 1500.

(b) Application in prescribed proforma for grant of pension is submitted to the Department of Youth Affairs and Sports by the sportspersons and pension is sanctioned by the General Committee entrusted with the management and administration of the fund. Payments of pension are made through cheques issued in the name of the pensioner.

(c) and (d) No such case has come to the notice of the Government. However, the outstanding cricketers in indigent circumstances if any is eligible for pension or financial assistance under the National Welfare Fund for Sportspersons.

गुजरात में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लक्ष्य

3383. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के प्रत्येक जिले में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष गुजरात के संबंध में जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी , और

(घ) गत वर्ष इन लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हो पाई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना समूचे देश में चल रही है जिसमें गुजरात का प्रत्येक जिला भी शामिल है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्ष 1992–93 के दौरान, 18 जिलों के 7179 शेष स्कूलों वाले 123 बलाकों को इसमें शामिल करने के लिए गुजरात सरकार को 512.41 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई थी । इसके साथ ही गुजरात के सभी जिलों में योजना मानदण्डों के अनुसार शामिल किए जाने वाले (12393) 100% स्कूलों को वर्ष 1992–93 के अंत तक शामिल कर लिया गया है ।

आंगनबाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को समाप्त किया जाना

3384. **श्री राम गोपाल यादव :** क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमोंहेतु राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राष्ट्र के हित में इन योजनाओं को समाप्त करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति वासवी र.जेश्वरी) (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न सेवाओं के विस्तरण के लिए

आंगनवाडी केन्द्र एक केंद्रीय स्थान है । पिछले तीन वर्षों के दौरान आईसीडी एस योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि के राज्य-वार आवंटन संबंधी ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है । (नीचे देखिए) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि स्वयं सेवी एजसियों को वास्तविक अपेक्षाओं और प्रत्येक योजना के मानदंडों के आधार पर जारी की जाती है पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा पर हुए वास्तविक व्यय का ब्यौरा विवरण–2 में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

(ख) जी, हां । समेकित बाल विकास सेवा योजना के संबंध में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि के उपयोग किए जाने का प्रबोधन राज्य सरकार के परामर्श से नियमित रूप से किया जाता है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में राशि जारी करने के लिए स्वयं सेवी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण–1

आई.सी.डी.एस. योजना के सतत कार्यान्वयन के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान रखयों को जारी किये गये केन्द्रीय अनुदानों की राज्य-वार राशि कुल

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	1990–91	1991–92	1992–93
1.	आंध्र प्रदेश	1657.95	3862.12	3209.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.80	143.20	254.72
3.	असम	762.91	664.59	875.90
4.	बिहार	2383.01	2237.27	3456.41
5.	गोआ	145.05	103.32	102.20
6.	गुजरात	1801.49	1791.82	1496.87
7.	हरियाणा	444.24	355.99	597.30
8.	हिमाचल प्रदेश	342.05	350.08	471.48
9.	जम्मू और कश्मीर	313.14	331.98	572.17
10.	कर्नाटक	1217.43	1010.02	2123.30
11.	केरल	931.50	519.65	839.39
12.	मध्य प्रदेश	1814.89	1910.14	3406.00
13.	महाराष्ट्र	2444.88	2222.41	2484.09
14.	मणिपुर	209.69	199.95	300.24
15.	मेघालय	179.92	104.40	334.21
16.	मिजोरम	229.91	172.38	206.53
17.	नागालैंड	231.82	208.68	304.76

18.	उड़ीसा	1373.54	4192.16	2952.50
19.	पंजाब	589.48	553.29	672.50
20.	राजस्थान	1270.69	963.23	1463.98
21.	सिक्किम	53.12	50.29	49.84
22.	तमिलनाडु	1155.32	946.60	1185.37
23	त्रिपुरा	120.01	92.25	274.12
24.	उत्तर प्रदेश	2422.89	1914.58	4387.87
25.	वैस्ट बंगाल	1693.57	1642.60	2855.99
26.	अंडमान और निकोबार	27.36	31.89	51.84
27.	चंडीगढ़	24.00	25.43	29.80
28.	दादर और नगर हवेली	12.70	15.11	15.62
29.	दमन और दीव	8.00	8.53	24.80
30.	दिल्ली	373.62	378.89	446.01
31.	लक्ष्यद्वीप	6.42	6.51	14.90
32.	पांडेचेरी	70.00	74.64	74.00
	कुल :	24450.00	27089.00	35534.39

विवरण 2

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत योजनावार व्यय

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	योजना का नाम	1990–91	1991–92	1992–93
1.	ग्रामीण कार्यात्मिक साक्षरता परियोजना	2885.46	1500.00	1136.96
2.	साक्षरता उपरान्त तथा आगे शिक्षा जारी रखना	820.00	881.00	620.29
3.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक ढांचों का सुदृढ़ीकरण	622.31	667.00	855.00

1	2	3	4	5
4	कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम	669.00	400.00	146.71
5	स्वयं सेवी एजेंसियां	1353.63	855.00	350.00
6	श्रमिक विद्यापीठ	97.59	111.08	126.47
7	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	185.00	32.25	2.50
8	नहरु युवक केन्द्र	200.00	—	—
9	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	8.36	9.60	16.36
10	प्रौढ शिक्षा निदेशालय	285.90	246.70	431.37
11	संपूर्ण साक्षरता अभियान	5978.90	5350.00	7140.59
12	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	—	2.28	0.01
13	राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्था	8.50	100.00	45.00

लेखकों को रायल्टी का भुगतान न किया जाना

3385. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रकाशन जगत में प्रकाशकों द्वारा लेखकों को रॉयल्टी का भुगतान न किया जाना एक आम बात बन गई है ;

(ख) क्या सरकार ने लेखकीय तथा बौद्धिक कार्यों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ग) क्या देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विकास पर बल डालने के उद्देश्य से यह जरूरी नहीं है कि प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी की चोरी को आपराधिक कार्य घोषित कर दिया जाए जिसमें फौजदारी अदालतों में प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और सांस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सामान्यतः प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें लेखकों व प्रकाशकों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है जो कॉपीराईट अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं और जिसमें रॉयलटी देने का प्रावधान होता है ।

(ख) और (ग) लेखक या साहित्यक लेखक को उसके प्रकाशक द्वारा रायल्टी का भुगतान प्रत्येक लेखक व प्रकाशक के बीच अनुबंध का मामला है । लेखक को लिखित अनुबंध से नियत कार्य द्वारा लाइसेंस देने या अपना कॉपीराइट स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है । रॉयल्टी का भुगतान न करने से दो पक्षों के बीच हुआ अनुबंध समाप्त हो सकता है तथा इन मामलों में खिन्न पक्ष सिविल मामला दायर करके सक्षम न्यायालय का सहारा ले सकता है । इस प्रकार जहां किसी लेखक को प्रकाशक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाता उन मामलों में न्याय प्रदान कर